

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.3(ख)(एम-1729/2013)/अलेसे-II/200

दिनांक :- 14.06.24

कार्यालय आदेश

श्री माधु राम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (दिव्यांग) (लिनंक नं. 11608) कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही) को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 10(4)वित्त(ग्रुप-2)/76 दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 04.01.2018 के आधार पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश संख्या एफ.6(6)एफडी/रुल्स/2010 दिनांक 30.05.2022 के अनुक्रम में नियमानुसार मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 1200/-) प्रति माह वाहन भत्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 01.05.2024 से प्रभावी होगी। यह वाहन भत्ता अवकाश, कार्यग्रहण काल एवं निलम्बन अवधि में देय नहीं होगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.3(ख)(एम-1729/2013)/अलेसे-II/200

दिनांक :- 14.06.24

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही)।
2. कोषाधिकारी, सिरोही।
3. उप निदेशक (ए.सी.पी.), कार्यालय हाजा।
4. श्री माधु राम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (दिव्यांग) (लिनंक नं. 11608) कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही)।
5. पदस्थापन सीट/ निजि/ रक्षित पत्रावली।


(क.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक